जिला पंचायत, जिला – इन्दौर

एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन कार्यक्रम (वाटरशेड)
(IWMP)

उद्देश्य :-

ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि आधारित होने के कारण जल संरक्षण व संवर्धन कार्यो की महत्वपूर्ण आवश्यकता है । वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों मे असमय पड़ने वाले सूखे, भू–जल के अत्यधिक दोहन के कारण जल संरक्षण व संवर्धन कार्यो का कार्यान्वयन और भी महत्वपूर्ण हो गया है ।

अतएव भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि संसाधन विभाग द्वारा जल ग्रहण क्षेत्र परियोजना के लिये एकीकृत जल ग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन कार्यक्रम के नाम से नवीन परियोजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना अन्तर्गत स्वीकृत जल ग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन परियोजनाओं की कार्यनीति "ग्रामीण की सहभागिता पर आधारित है, इसलिये ग्रामीणों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये प्रारम्भिक कार्यकलाप (Entry Point Activity) और सामाजिक जुड़ाव (Community Mobilisation) के कार्य भी लिये गये है । ग्रामीणों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिये इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार है :–

1. मृदा संरक्षण और जल संरक्षण व संवर्धन कार्य
2. वानस्पतिक आच्छादन में वृद्धि
3. संरक्षित संवर्धित तथा विकसित प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग एवं कुशल प्रबन्धन
4. कृषि उत्पादन में इष्टतम वृद्धि
5. संवहनीय आजीविका के सृजन हेतु श्रमजन्य रोजगार के साथ–साथ रोजगार के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन

➢ **IWMP संबंधित कार्य प्रणाली के प्रमुख बिन्दु :–**

1. ग्रामीण सहभागी समीक्षा और तकनीकी/वैज्ञानिक प्रणालियों का समावेश कर लक्ष्य आधारित व परिणाम मूलक (Goal and outcome oriented) कार्य योजना तैयार करना ।
2. रिज–टू–वेली के वाटरशेड सिद्धांत के आधार पर जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यो का कार्यान्वयन और संवहनीय आजीविका सृजन के लिये कृषि उत्पादन में वृद्धि के कार्यकलापों अन्य आयमूलक कार्यकलापों और लघुउद्यमों के कार्यान्वयन, सार्वजनिक सम्पत्ति संसाधनों का विकास एवं प्रबन्धन ।
3. समान उद्देश्य वाली अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण ।
4. आयोजना कार्यान्वयन और विकसित संसाधनों, सृजित/जनित परिसम्पत्तियों के रखरखाव व प्रबन्धन के लिये समुदाय विशेषकर संसाधन हीन गरीबों और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना और इस हेतु सामाजिक सुझाव के कार्याकलाप करना तथा संस्थापन व क्षमता निर्माण को विशेष महत्व ।
5. वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिये आधुनिक प्रोद्योगिकियों की निविष्टयां ।
6. निजी क्षेत्र सहित अन्य स्त्रोतो से अतिरिक्त निधियां जुटाना ।
7. सहभागी, परिणामी तथा प्रभावकारी अनुश्रवण/निगरानी, मूल्यांकन तथा ज्ञानार्जन प्रणाली लागू करना।

➤ जल ग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन परियोजना के विभिन्न चरण :–

1. स्वीकृत जल ग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन परियोजना के कार्य क्षेत्र के विस्तार तथा अवेक्षित परिणामों के दृष्टिगत परियोजना की अवधि 05–07 वर्ष को सकती है, जिसे चरणवार निम्नानुसार बांटा गयाहै ।

क्र.	चरण	नाम	अवधि
01	I	प्रारम्भिक चरण	2 वर्ष
02	II	वाटरशेड कार्य चरण	2–3 वर्ष
03	III	समेकन और निवर्तन चरण	1–2 वर्ष

जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन परियोजनाओ के कार्यकलापो को चरणबद्ध बनाने हेतु आंतरिक तर्क संगतता और स्थानीय परिस्थितियों के विश्लेषण की आवश्यकताओं संभावनाओ, समुदाय की प्रतिक्रिया आदि अन्य कारणों पर भी निर्भर होगी ।

2. जिला कलेक्टर IWMP योजना हेतु मिशन लीडर होगे ।
3. जिला कलेक्टर मिशन लीडर (R.G.M) के नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण के उनके अधीन वाटरशेड सेल सह डाटा सेन्टर (WCDC) का गठन किया गया है जिसके समन्वयक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत है।

4. इन्दौर जिले में वर्ष 2010 में यह नवीन योजना नामतः ''एकीकृत जल ग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन कार्यक्रम'' अन्तर्गत जल ग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन की तीन परियोजनाऐं रू. 21.64 करोड की लागत से 18035 हेक्टर में जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यो हेतु स्वीकृत हुई है । इसमे वाटरशेड कार्य चरण अन्तर्गत मुख्य रूप से (1) वाटरशेड विकास कार्य हेतु 56% (2) आजीविका संबंधी कार्यकलाप हेतु 09% (3) उत्पादन प्रणाली तथा अति लघुउद्यम हेतु 10% (04) आस्थामूलक कार्य हेतु 04% एवं (05) संस्थागत एवं क्षमता निर्माण हेतु 05% राशि का प्रावधान किया गया है । स्वीकृत 03 परियोजनाऐं जिले के महू (डॉ. अम्बेडकर नगर) ब्लाक में होकर 21 ग्राम पंचायतों के 46 ग्रामों में क्रियान्वयन हो रहा है । तीन परियोजनाओं में 03 वाटरशेड को क्रमशः प्रथम में 9 माइक्रो वाटरशेड, द्वितीय में 4 माइक्रो वाटरशेड, तृतीय में 5 माइक्रो वाटरशेड में बांटा गया है । इन परियोजनाओं में क्रियान्वयन के लिये Ist को शासकीय स्तर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को, IInd कार्पोरेट सेक्टर में I.T.C. को एवं IIIrd में स्वय सेवी संगठन नागरथ चैरीटेबल ट्रस्ट इन्दौर को परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी, राज्य शासन स्तर से नियुक्त किया गया है ।

➤ IWMP परियोजनाओं में अद्यतन प्रगति :–

परियोजना क्रियान्वय एजेन्सी के तहत विषय विशेषज्ञों की वाटरशेड डेवलपमेंट टीम W.D.T. का गठन किया जाकर अनुमोदन प्राप्त कर अधिसूचना जारी कर टीम कार्य कर रही है ।

- स्वीकृत तीनो परियोजनाओं में प्रशा. मद व डी.पी.आर हेतु राशि जारी की जाकर डी.पी.आर. का कार्य सम्पादित करा लिया गया है व वाटरशेड तकनीकी समिति की बैठक द्वारा कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में अनुमोदन कर दिया गया है ।

- प्रत्येक परियोजना के अन्तर्गत माइक्रो वाटरशेड में प्रारंभिक कार्यकलाप (E.P.W.) का चयन किया जाकर कार्य सम्पादित किये वाटर शेड विकास कार्य प्रगति पर है ।

(IWMP परियोजना मे क्षेत्र मे कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी)

- माइक्रो वाटरशेड/ग्रामों में उपयोगकर्ता समूह, स्वयं सहायता समूह तथा वाटरशेड समितियों का गठन किया जाकर ग्रामीणजनों को जिम्मेदारी सौपी गयी।
- डी.पी.आर के अनुमोदन पश्चात जल ग्रहण क्षेत्र में विकास कार्य, आयमूलक कार्य और कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी के कार्य प्रारम्भ कर दिये गये है ।
- परियोजना के क्रियान्वयन के साथ ही मिली वाटरशेड I, II, III मे प्रत्येक माइक्रोशेड/ग्रामों मं विभिन्न स्टेफ होल्डर की क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण व अनुशासित कार्यकलापों का कार्य नियमानुसार सम्पादित कराया जा रहा है ।
- एकीकृत जल ग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम की स्वीकृत परियोजनाओं में वाटरशेड विकास कार्य अन्तर्गत जल संरक्षण व संवर्धन हेतु निम्न कार्य प्रस्तावित किय गये है :–

(1) कन्टूर ट्रेन्च	(2) बोल्डर चैक	(3) मिट्टी बन्धान/रोक बांध
(4) पक्का नाला बंधान	(5) रिसन तालाब	(6) मेढ़ बंधान
(7) गली प्लग	(8) गेबियन	(9) चारागाहविकास (10)पौधरोपण आदि

एकीकृत जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की स्वीकृत परियोजनाओं की समयबद्ध आयोजन और कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाकर लगन एवं परिश्रम से कार्य किया जा रहा है ।